





भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS सीमा शुल्क गृह, विल्लिंग्डन आईलैंड, कोचिन **CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009**

Website: www.cochincustoms.gov.in E-mail: cochincustoms@nic.in

Control Room: 0484-2666422 Fax: 0484-2668468

F.No. S31/06/2023.Pr.Cus

दिनांक Date: 26.04.2023

स्थायी आदेश सं. Standing Order No. 05/2023

विषय: बोर्डिंग कार्यप्रणाली - बोर्डिंग अधिकारी द्वारा वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग सुविधा वाले बॉडी वोर्न कैमरा (बी डब्ल्यू सी) से लैस बोर्डिंग जैकेट का उपयोग किए जाने से पारदर्शिता में सुधार -संबंधी।

Subject: Boarding functions - Improving transparency using boarding Jacket fitted with Body Worn Camera (BWC) having video/audio recording facility by Boarding Officer -reg.

सभी का ध्यान बोर्ड के परिपत्र संख्या 07/2023 दिनांक 07 मार्च 2023 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसमें सीमा शुल्क गृह, कोचिन के अंतर्गत आने वाले इस पोर्ट पर बोर्डिंग अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए निर्दिष्ट वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग से लैस व बॉडी वोर्न कैमरे युक्त बोर्डिंग जैकेट के उपयोग के बारे में सूचित किया गया है।

Kind attention is drawn to the Board's Circular No. 07/2023 dated 07th march 2023 regarding use of boarding jacket fitted with body worn camera having video/audio recording to be prescribed for use by the Boarding Officers at this port under Custom House Cochin.

2. पोर्ट पर, बोर्डिंग अधिकारी वह पहला सरकारी अधिकारी होता है जो विदेशी जहाज के भारतीय पोर्टों पर पहली बार आने पर उससे निपटता है और उनके कंधों पर विभिन्न जिम्मेदारियाँ होती हैं। बोर्डिंग अधिकारी पोर्टों पर भारतीय सीमा शुल्क के प्रतिनिधि होते हैं। अपनी चमकदार सफेद वर्दी में, भारतीय सीमाओं में प्रवेश करने वाले किसी भी जहाज पर सबसे पहले पैर रखने वाले, वे सेवा के अग्रणी पदाधिकारी हैं, जिनकी दृश्यता शिपिंग लाइनों, टर्मिनल ऑपरेटरों, संभारण भागीदारों, सीमा शुल्क ब्रोकरों, व्यापारियों और सबसे महत्वपूर्ण सामान्य जनता तक विस्तृत होती है। इस प्रकार, बोर्डिंग अधिकारी को देश के एक राजदूत के रूप में कार्य करना पड़ता है और व्यापार के लिए कोई अस्विधा पैदा किए बिना सीमा श्ल्क औपचारिकताएँ और प्रक्रिया श्रू करनी होती है।

At the seaport, the Boarding officer is the first government official to deal with the foreign vessel on its first arrival to Indian ports and they have various responsibilities on their shoulders. The Boarding Officers are the face of Indian Customs at the ports. Crisp in their white uniforms, the first to set foot on any vessel entering the Indian frontiers, they are the cutting-edge functionaries of the Service whose visibility extends to the Shipping lines, terminal operators, logistic partners, custom brokers, businessmen and most importantly the common man. Thus, the boarding officer has to act as an ambassador of the country and has to

initiate customs formalities and procedure without causing any inconvenience to the trade.

3. अपने कर्तव्यों के अनुसार, बोर्डिंग अधिकारी भारत में आगमन करने वाले सभी जहाजों पर बोर्डिंग करेंगे और सामान्य घोषणा, जहाज के स्टोर्स की सूची, चालक दल की सूची, चालक दल के सदस्यों की निजी संपत्ति सूची, यात्रियों/चालक दल के चढ़ने/उतरने की विस्तृत सूची, एक ही तल के कार्गों की सूची, पोत कार्गों, जहाज की मुद्रा घोषणा, हथियारों की सूची, गोला-बारूद और सैटेलाइट फोन, जहाज या उसके चालक दल के उपयोग के लिए अनुमेय खतरनाक दवाओं की सूची आदि, यदि कोई हो तो उनकी सूचना संग्रहित करेंगे। बोर्डिंग अधिकारी घोषणा के साथ बांड स्टोर और पोत के उपभोज्य स्टोर को सत्यापित करेंगे और शराब, सिगरेट, तम्बाक्, हथियार और गोला-बारूद और जहाज और उसके चालक दल के अन्य संवेदनशील वस्तुओं को सीमा शुल्क मुहर के तहत रखेंगे। वे उनकी घोषणा के साथ चालक दल के कब्जे में रखी कम से कम 5% संपत्ति की जाँच करेंगे और अतिरिक्त मात्रा, यदि कोई हो, तो उसे सील के अंतर्गत रखेंगे।

As per their duties, the Boarding Officer shall board all the vessels on their first arrival in India and collect the Arrival report consisting of General declaration, Vessel's stores list, Crew list, private property list of the members of the crew, a detailed list of embarking/disembarking of the passengers/crew, list of same bottom cargo, Vessel Cargo, vessel's currency declaration, list of arms, ammunition and satellite phones, list of permissible dangerous drugs for the use of vessel or its crew, if any, etc.. The Boarding Officer shall verify Bond stores and the consumable stores of the vessel with the declaration and shall put the items like liquor, cigarettes, tobacco, arms & ammunition and other sensitive items of the vessel and its crew, under customs seal. They shall carry checks of minimum 5% of the property in possession of the crew with their declaration and shall put the excess quantity, if any, under seal.

4. उपर्युक्त कर्तव्यों के निर्वहन और इसके दौरान बातचीत में पूर्ण पारदर्शिता, वैधता और जवाबदेही बनाए रखने की आवश्यकता होती है। सीमा शुल्क के महत्व को उजागर करने और इसे देश की आर्थिक सीमाओं के अग्रणी संरक्षक का उपयुक्त टैग प्रदान करने के लिए, पोर्टों पर सीमा शुल्क अधिकारियों की दृश्यता बढ़ाई जानी चाहिए।

The performance of the above duties and the interaction during the course of their duties require maintaining of absolute transparency, legitimacy and accountability. In order to highlight the importance of Customs and accord it the fitting tag of guardians of the frontiers of economic borders of the country, the visibility of Customs officers at ports should be enhanced.

5. उपर्युक्त उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि, पोर्टों पर बोर्डिंग अधिकारियों के लिए बॉडी वियर कैमरे के साथ जैकेट का उपयोग निर्धारित किया जाए। यह बोर्ड पर भौतिक जाँच करते समय कार्यप्रणाली को पारदर्शिता प्रदान करेगा और अपराध या संदिग्ध अपराध के मामले में साक्ष्य भी प्रदान करेगा। यह न केवल अधिकारी की दृश्यता में वृद्धि करेगा बल्कि नागरिकों और सीमा शुल्क दोनों के लिए, विशेष रूप से इस तरह की सार्वजनिक बातचीत की बढ़ी हुई जाँच के आलोक में बढ़ी हुई पारदर्शिता, वैधता और उत्तरदायित्व का लाभ भी देगा।

Keeping the above objective in mind, it has been decided to prescribe the use of jacket with body worn camera for the Boarding officers at ports. This will provide transparency, while carrying on physical check on board and also provide evidence in case of an offence or suspected offence. It will not only add to the visibility of the officer but also has the benefit of increased transparency,

legitimacy and accountability for both the citizens and the Customs especially in light of, enhanced scrutiny of such public interactions.

6. इस संबंध में, बोर्डिंग अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा-

In this regard, the following procedure shall be followed by the boarding officers-

(i) जहाज पर चढ़ने से पहले बोर्डिंग अधिकारी अपने नाम और बैज वाली जैकेट पहनेंगे। बॉडी वियर कैमरे को दाहिनी ओर विशेष रूप से बॉडी कैमरा रखने के लिए डिज़ाइन किए गए स्थान पर लगाया जाना होगा। जहाज के चालक दल और सत्यापन प्रक्रिया के समय अधिकारी के साथ बातचीत की छवि को स्पष्ट रूप से कैमरे में सहेजने के लिए कैमरे को सीधा रखा जाना होगा।

The boarding officer shall wear the jacket with their name and badges before boarding the vessel. The body worn camera shall be placed on the right side at a space specifically designed to hold the body camera. The camera shall be placed upright to capture the image of interaction with vessel's crew and verification process clearly.

(ii) रिकॉर्डिंग कैमरे को इस तरह से रखा जाएगा कि फुटेज देखने वाले अधिकारी के नजरिए से स्थिति को देखा जा सकें।

The recording camera would be positioned in such a manner so that those watching the footage see the situation from the officer's perspective.

(iii) अधिकारी बोर्डिंग ड्यूटी की शुरुआत में गैंगवे के पास आने पर अपने कैमरे को सक्रिय करेंगे और लोगों को आगाह करेंगे कि उन्हें रिकॉर्ड किया जा रहा है। रिकॉर्डिंग तब तक निर्बाध रूप से जारी रहेगी जब तक कि अधिकारी जहाज से उतर नहीं जाता और गैंगवे के अंत तक वापस नहीं पहुँच जाता।

Officer shall activate their camera at the start of their boarding duty on approaching the gangway and make people aware that they are being recorded. The recording shall be continued uninterrupted until the officer, de-boards the vessel, and reaches back at the end of the gangway.

(iv) अधिकारी के शिफ्ट के अंत में, वह अधिकारी रिकॉर्ड किए गए डेटा को पासवर्ड सुरक्षा से सुरक्षित एक इंटरनल ड्राइव में स्थानांतरित करेगा। प्रत्येक दिन के अंत में, हार्ड डिस्क में एक बैक-अप कॉपी भेजी जाएगी और सहायक/उप आयुक्त (निवारक) की सुरक्षित अभिरक्षा में रखी जाएगी। रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 30 दिनों के लिए रखा जाएगा। सभी अधिकारी डेटा का सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करेंगे और उस तक पहुँच केवल आंतरिक उपयोग के लिए प्रतिबंधित होगी।

At the end of the officer's shift, the officer shall transfer the recorded data in an internal drive secured with password protection. At the end of every day, a backup copy in hard disk to be sent and kept in safe custody of Assistant/Deputy Commissioner(Preventive). The recordings shall be retained for minimum 30 days. All the officers shall ensure safe storage of data and access to the same shall be restricted for internal use only.

(v) बॉडी कैमरा सभी डेटा स्थानांतरित करने के बाद सुरक्षित रूप से अगले बैच के अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। इस हस्तांतरण (हैंड ओवर) के दौरान इसे तुरंत रजिस्टर में दर्ज किया जाना आवश्यक होगा।

The body camera after transferring all the data shall be handed to next batch officer safely. It needs to be recorded in the register immediately during handover.

(vi) सहायक/उप आयुक्त (निवारक) प्रत्येक सप्ताह याद्दच्छिक आधार पर इन रिकॉर्डिंग्स की निगरानी करेंगे और समीक्षा की गई वीडियो और की गई टिप्पणियों का विवरण संयुक्त/अपर आयुक्त (प्रभारी) को भेजेंगे।

Assistant/Deputy Commissioner(Preventive) shall oversee these recordings on random basis every week and send the details of video reviewed and observations made to Joint/Additional Commissioner(Incharge).

(vii) संयुक्त/अपर आयुक्त (प्रभारी) हर महीने इन रिकॉर्डिंग्स और सहायक/उपायुक्त (निवारक) द्वारा की गई टिप्पणियों की समीक्षा करेंगे और आयुक्त को एक मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

Joint/Additional Commissioner(Incharge) shall review these recordings and the observations made by the Assistant/Deputy Commissioner(Preventive) every month and submit a monthly report to Commissioner.

7. यह स्थायी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होता है। इन निर्देशों के कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया जाए।

The Standing Order comes into force with immediate effect. Any difficulty faced in implementation of these instructions shall be brought to the notice of the undersigned.

पी. जयदीप P JAIDEEP

सीमा शुल्क आयुक्त COMMISSIONER OF CUSTOMS